PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Mr. Chairman, Sir, some convoluted logic has been presented by the Commerce Minister in the sense that he is not trying to meet the points raised from this side or by the questioners. He says on the question whether it is a part of project or not, the decision of the Assistant Collector of Customs is final and even if a question has to be raised, that question has to be raised with the Finance Minister. He points out the Finance Minister present here. I don't know whether he proposes to have a debate with the Finance Minister or clarification from the Finance Minister, here and now. My precise question is that, if there is any doubt on the question of the interpretation whether one is project or not, if there is any doubt or misapprehension, why does not the Commerce Minister approach the Finance Minister to get it clarified once for all without asking the questioners, Members to go from Ministry to Ministry?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Let me submit that I have no doubt about the wisdom of the policy. If there are doubts about the wisdom of the policy or that policy should be revised. I would appeal to the hon. Members to address the Finance Minister to revise the policy. I have no doubt about the wisdom of the policy.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 25.

Ban on sex determination tests

*25. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to ban sex determination tests; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SMT. D. K. THARA DEVI SIDDHARATHA): (a) and (b) The Government is considering to bring an appropriate legislation in this regard.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, किसी भी समाज में स्त्री-पुरुष का प्रतिशत लगभग समान होना चाहिये । भारत में यह प्रतिशत बहुत ही असमान है और गत कुछ वर्षों में लगातार स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत निरन्तर गिरता जा रहा है । स्त्रियों के इस गिरते प्रतिशत के जो अनेक कारण हैं उनमें एक कारण लिंग परीक्षण प्रक्रिया भी है और इस लिये इस पर प्रतिबंध लगना चाहिये । मुझे सरकार के इस उत्तर से संतोष है कि सरकार लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उपयुक्त विधान लाना चाहती है लेकिन डर इस बात का है कि पिछली तीन सरकारों से मैं यही उत्तर 3 वर्षों से सुनता आ रहा हूं लेकिन आज तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है । पता नहीं इस देरी के कारण कितनी लाखों अभागी बहनें दुनिया में आने से पहले ही नष्ट की गई हों । इसलिये क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि उनका यह उपयुक्त विधान इसी सत्र में लाया जायेगा और किसी चिकित्सा समिति को न भेजते हुये पारित किया जायेगा ।

श्री एम०एल० फोतेदार : सदस्य महोदय ने जो फरमाया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं । पिछले एक साल मे तीन सरकारें बदलीं, यह हमारा कसूर नहीं है, यह आपका अपना कसूर है । आपको मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि यह जो मौजूदा सरकार है, यह पूरे पांच साल रहेगी । . . . (**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन: आपकी जानकारी के लिये, यह उत्तर मुझे उस सरकार ने भी दिया था जो आपकी थी । आप इसमें राजनीति मत लाइये, मैं तीन सरकारों को कहा । . (**व्यवधान**)

श्री एम०एल० फोतेदार : प्रमोद जी, जरा (**व्यवधान**) आप जरा शांत रहिये मैं आपकी बात पर आ रहा हूं । (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : यह सवाल सैक्स डिटरमेशन का है, गवर्नमेंट के डयूरेशन का नहीं है ।

मौलाना अबदुल्ला खान आजमी : यह सवाल नहीं है कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी । **(व्यवधान)**

SHRI M. L. FOTEDAR: I am particular that this legislation should be brought before the House and passed as soon as possible. I am moving the Cabinet and as soon as I get approval of the Cabinet, I will come before the hon. House for approval of this legislation.

श्री प्रमोद महाजन : यह दुर्भाग्य है, अगर इसमें . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If the Cabinet approval has not been given, how can the Minister speak like this for the Government?

MR. CHAIRMAN: On principle, it has been given.

SHRI M. L. FOTEDAR: I am sure I will get Cabinet approval and immediately after getting the Cabinet approval, I will bring an appropriate legislation, preferably during this session, and if not in this session, definitely in the next session.

श्री प्रमोद महाजन : यह अच्छा आश्वासन है, मैं इसका स्वागत करता हूं : जहां तक सरकार के लिंग परीक्षण का संबंध है, वह जनता समय-समय पर तय करेगी, आप उसकी चिंता मत करिये ।

मैं आपसे अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि अपने देश में शायद महाराष्ट्र ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां यह कानून बना है, लेकिन आश्चर्य यह है कि कानून बनने के बाद भी आज तक महाराष्ट्र में स्त्री बीजों को नष्ट किया जाता है और किसी को सजा नहीं होती है । क्या इस तरह का कानून बनाते समय, क्योंकि इसका क्रियान्वयन राज्यों को करना है, आपने किसी राज्य से बात की है और क्या किसी राज्य ने इस प्रक्रिया के बारे में विरोध किया है ?

श्री एम० एस० फोतेदार : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी राज्य सरकार ने इसका विरोध किया हो । जहां तक महाराष्ट्र सरकार का संबंध है, यह सही है कि वहां इस कानून को लागू किया गया है लेकिन हाल ही में मुझे बताया गया है कि जो ला एंड आर्डर मशीनरी है for this purpose, that has been set in motion. I am requesting the Chief Minister also that he must see that this law is implemented both in letter as well as in spirit.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, मैं माननीय महोदय से यह जानना चाहती हूं कि जिस विधेयक की यह प्रस्तावना कर रहे हैं कि वह जल्दी ही ला रहे हैं, यह विधेयक लाने से पहले जिस प्रकार की पृष्ठभूमि में यह थे लेकिन सरकार में नहीं थे, चार महीने के काल में एक विधेयक लाया गया था और उस विधेयक के बारे में तमाम महिला संगठनों ने आलोचना की थी कि इसमें यह-यह खामियां हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या नया विधेयक जो वह ला रहे हैं उनमें जिन खामियों की ओर इशारा किया गया है उन खामियों को दूर किया गया है या नहीं ? क्या महिला संगठनों से इस पर बातचीत की गयी है या नहीं या फिर वही लटियों से भरा हुआ एक विधेयक हमारे सामने रख दिया जायेगा और हम फिर सदन में उसके खिलाफ बोलते रहेंगे और कुछ होगा नहीं ?

श्री एम०एस० फोतेदार : कानून का जहां तक संबंध है, यह महिलाओं के हित में होगा, देश के हित में होगा । अगर माननीय महोदया को कोई बात ऐसी हो, तो वह मेरी नोटिस में ला सकती है और मैं लेजिस्लेशन लाने से पहले उनको देख लूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Question hour is over.